फैक्स / शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

संख्या–33 / आ0–6–11–[illegible] / [illegible]

प्रेषक,

मो0 अकरम,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
   नगर भूमि सीमारोपण
   निदेशालय, लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उ0प्र0।

3. **अध्यक्ष / सचिव,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास
   प्राधिकरण, उ0प्र0।

4. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक**
   नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
   उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 05 फरवरी, 2014

विषयः–**विभागीय कार्यवाहियों तथा सेवानिवृत्तिक देयोंके मामलो के निस्तारण की आख्या समयबद्ध रूप में उपलब्ध कराये जाने के संबंध मे।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, कार्मिक अनुभाग–1 के पत्र संख्या–811 / का–1–13, दिनांक 14.11.2013 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसमें प्रारूप पर निम्न सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है :–

(क) विभागीय कार्यवाहियों के लम्बित प्रकरण –
1. दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से पूर्व संस्थित सभी विभागों में ऐसी विभागीय कार्यवहियों की कुल संख्या, जो अभी भी अनिस्तारित है।
2. उक्त में से सबसे पुराने 10 प्रकरणों में कृत कार्यवाही की अद्यावधिक स्थिति सहित पूर्ण विवरण।

(ख) सेवानिवृत्तिक देयों के लम्बित प्रकरण –
1. दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से पूर्व सेवानिवृत्त सभी विभागों के ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों की कुल संख्या, जिनके प्रकरण अभी भी अनिस्तारित है।
2. उक्त में से सबसे पुराने 10 प्रकरणों में कृत कार्यवाही की अद्यावधिक स्थिति सहित पूर्ण विवरण।

..........2/

2. विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अकेन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों का तथा नगर भूमि सीमारोपण तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में उक्तांकित बिन्दुओं पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक सूचना उपलब्ध कराया जाना है। प्रकरण में समयबद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

3. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आख्या समयबद्ध रूप में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे :—

(1) प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग में नोडल अधिकारी नामित किया जाय।

(2) उक्त पत्र दिनांक 14.11.2013 में की गयी अपेक्षानुसार निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी को निर्देशित किया जाय।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

मो० अकरम
5.2.2014

(मो0 अकरम)
विशेष सचिव।